वाराणसी में पासपोर्ट कार्यालय खोलना

313. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में वाराणसी में एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट कार्यालय के अभाव में लोगों को पासपोर्ट राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) से (घ) वाराणसी में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि नया पासपोर्ट कार्यालय उन्हीं क्षेत्रों/नगरों में स्थित होना चाहिए जहां एक वर्ष में 50,000 से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होते हों। इन मार्ग निर्देशों और उत्तर प्रदेश राज्य में आवेदन पत्रों की कुल प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए ऐसा महसूस किया गया है कि दो पासपोर्ट कार्यालय जो आजकल कार्य कर रहे हैं, राज्य में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं।

Widening of National Highway No. 8-B

314. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration regarding widening of the Ahmedabad-Rajkot-Gandhidham national highway No. 8-B;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) to (c) Keeping in view the prevailing financial constraints for the Central Sector Road Programme, there is no proposal under consideration for widening of the road under reference.

Bid by Essar Oil Ltd. for ONGC's Contract

315. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the bid of Essar Oil Limited for ONGC's contract for offshore B-121 platforms has been accepted;

(b) whether M/s. Essar Oil Ltd. has furnished any undertaking/guarantee from Mazagon Dock Limited about the delivery or dacks, jackets or any other component to Essar Oil Ltd. within the stipulated delivery schedule;

(c) whether it is also a fact that an evaluation by Engineers India Ltd. indicates that MDL does not have the capacity to make more than two platforms;

(d) if so, in what manner it has been ensured that Essar Oil Ltd. will adhere to the delivery schedule of the platforms; and

(e) whether there are any penalty clauses in the bids for non-performance or delayed performance, if so, details thereof, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (e) The bid of M/s. Essar Oil Ltd. alongwith six other bidders was considered against the tender for B-121/119 well platform project. The contract however has not been awarded to M/s. Essar Oil Ltd.

नदियों में प्रदूषण के स्तर के अध्ययन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी योजना

316. **श्री सोमपाल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश

की विभिन्न नदियों में प्रदूषण के स्तर और जल की गुणवत्ता के सतत् अध्ययन तथा उसके लिये विस्तृत मानचित्र तैयार करने हेतु कोई योजना बनायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा;

(ग) क्या यह योजना एक बार के लिये लागू की जायेगी अथवा यह सतत् जारी रहेगी;

(घ) नदियों के जल के प्रदूषित होने के मुख्य-मुख्य कारक क्या हैं और क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिये कोई कार्ययोजना बनायी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड "भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधनों की निगरानी" और "विश्व पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली" कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहायता से देश में विभिन्न नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। कुल 480 जलगुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं तथा विभिन्न भौतिक, रसायनिक एवं जैविक पैरामीटरों के लिए मासिक या तिमाही आधार पर जल गुणवत्ता निगरानी की जा रही है। जल गुणवत्ता निगरानी के आंकड़े और निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग के आधार पर विस्तृत जल गुणवत्ता मानचित्र तैयार किए गए हैं। निगरानी कार्यक्रम अनवरत गतिविधियां हैं।

(घ) और (ङ) नदियों के प्रदूषण के लिए मुख्य कारकों में अशोधित/आंशिक रूप से शोधित मलजल और औद्योगिक बहिस्राव का विसर्जन शामिल हैं। कृषि रन-आफ, अधजले, बिना जले शवों को नदी में विसर्जित किया जाना जैसे गैर-स्थल स्रोत भी नदी, जल प्रदूषण में योगदान करते हैं। देश की प्रमुख नदियों के अभिनिर्धारित प्रदूषित भागों की जल गुणवत्ता की बहाली के लिए एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू की गई हैं। दस राज्यों में अठारह नदियों के प्रदूषित भागों के किनारों पर 46 नगर स्थित हैं। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 772 करोड़ रुपये है जिसे केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

हजीरा, गुजरात में प्रदूषण का स्तर

317. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार गुजरात के हजीरा क्षेत्र में रिलायंस पेट्रो-रसायन संयंत्र से प्रतिदिन छोड़ी जा रही जहरीली गैसों से प्रदूषण का स्तर काफी ऊपर चला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस संयंत्र में प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रदूषण रोधी उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स रिलायंस लिमिटेड के पेट्रोकैमिकल संयंत्र से उत्सर्जनों के कारण हजीरा में प्रदूषण स्तर में अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) बोर्ड ने उद्योग को निर्देश जारी किए हैं कि अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपाय किये जाएं और तदनुसार उद्योग ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी प्रणालियां मुहैया की हैं। निगरानी परिणामों से संकेत मिलता है कि उत्सर्जन निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

संसद-सदस्यों की सुरक्षा हेतु प्रबंध

318. **श्री रामजी लाल:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में संसद-सदस्यों की सुरक्षा के लिये विशेष प्रबंध करती है;

(ख) इस संबंध में सरकार को कितने पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी): (क) से (ग) सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए खतरे के मूल्यांकन के आधार पर खतरे के स्तर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में संसद सदस्यों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। सुरक्षा प्रदान करने के अनुरोधों पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है तथा उनकी जान के जोखिम के आधार पर जहां कहीं आवश्यक होता है, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है।